षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सदानंद सिंह, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स० डॉ० अशोक कुमार, स०वि०स० श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	"भागलपुर सृजन घोटाले की प्रारंभिक जांच से यह जानकारी मिल रही है कि लगभग एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की सरकारी राशि का विचलन एवं दुरूपयोग हुआ है जिसमें कई वर्त्तमान एवं पूर्व वरीय पदाधिकारियों की संलिप्तता है । बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए CBI की जांच हेतु केन्द्र से आग्रह किया है । अत: इस वृहत सरकारी राशि के घोटाले की जांच शीघ्र कराकर दोषियों को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र दण्डित करने तथा इस घोटाले की राशि से अर्जित की गयी परिसम्पत्तियों का अविलम्ब अधिग्रहण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री रामविचार राय, स०वि०स० श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	"सूबे के 90 प्रतिशत बड़े किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं । वे अपनी खेती छोटे किसान, मजदूर एवं अन्य लोगों से करवाते हैं । पट्टा सिस्टम में अपने खेत के लिए पूरे वर्ष की राशि एक बार बटाईदारों से ले लेते हैं । बटाईदारी सिस्टम में उपज का आधा हिस्सा खेत मालिक को और आधा हिस्सा बटाईदार को जाता है । खेती करने में पूंजी बटाईदार की लगती है । ओलावृष्टि, बाढ़, सुखाड़ आदि से फसल मारी जाती है लेकिन बटाईदारों को खेत मालिकों को उसके पट्टा की तय राशि देनी पड़ती है । फसल क्षति के लिए जो मुआवजा की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, वह खेत मालिक को ही भुगतान होती है जबकि पूंजी और मेहनत बटाईदारों की लगी होती है और वे फसल क्षतिपूर्त्ति की राशि पाने से वंचित रह जाते हैं जो बटाईदारों पर दोहरी मार है । अतः बटाईदारों को फसल क्षतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान करने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/17-5704-5717/वि०स०, पटना, दिनांक-21 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 21.8.2017
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/17- 5704-5717 /वि०स०, पटना, दिनांक-21 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 21.8.2017
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

21/08/17